इंदिरा गांधी
शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया
जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

Information & Admission Brochure

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Indira Gandhi
Govt. College, Pandariya, Distt. Kabirdham (C.G.)

Web site : igcollegepandariya.in ★ Email : pandariacollege@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय

पण्डरिया, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

Website : igcollegepandaria.ac.in ★ Email : pandariacollege@gmail.com

विद्या विनय विवेक

सूचना व प्रवेश विवरणिका

प्रवेश आवेदन पत्र आवेदक स्वयं भरे।

आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यार से पढ़े।

प्रवेश के समय प्रस्तुत करें -

1. 10 वीं से विगत समस्त कक्षा की अंकसूची - स्व सत्यापित प्रति।
2. मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति।
   (चयन सूची में नाम आने पर मूल प्रति जमा करनी होगी।)
3. जाति प्रमाण पत्र - स्व सत्यापित प्रति।
4. निवास प्रमाण पत्र - स्व सत्यापित प्रति।
5. विकलांग प्रमाण पत्र - स्व सत्यापित प्रति।
6. पासपोर्ट साईज की 2 फोटो।

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G)

Scanned with OKEN Scanner

शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संरचना

प्राचार्य
श्री मदनलाल कश्यप
(प्रभारी प्राचार्य)

कला संकाय- स्नातक

1.	इतिहास	-	श्री दिनेश कश्यप
2.	समाज शास्त्र	-	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत
3.	राजनीति शास्त्र	-	श्री सुरेन्द्र कुमार तिग्गा
4.	हिन्दी	-	रिक्त
5.	अर्थशास्त्र	-	श्री चन्द्रहास सिंह राजपूत
6.	भूगोल	-	श्री अलेख कुमार पटेल
7.	अंग्रेजी	-	रिक्त

कला संकाय - स्नातकोत्तर

1.	इतिहास	-	रिक्त 1 पद
2.	समाज शास्त्र	-	रिक्त 1 पद
3.	हिन्दी साहित्य	-	रिक्त 1 पद

विज्ञान संकाय स्नातक

1.	रसायन शास्त्र	-	श्री भोलाराम धृतलहरे (रिक्त 1 पद)
2.	वनस्पति शास्त्र	-	श्री चित्रसेन ठाकुर (रिक्त 1 पद)
3.	प्राणी शास्त्र	-	रिक्त 2 पद
4.	भौतिक शास्त्र	-	रिक्त 1 पद
5.	गणित	-	श्री ओमप्रकाश देवांगन

वाणिज्य संकाय-स्नातक

1.	बी.कॉम.	-	श्री एम.एल.कश्यप

वाणिज्य संकाय-स्नातकोत्तर

1.	एम.कॉम.	-	रिक्त

क्रीडा विभाग

1.	क्रीडा अधिकारी (अस्थायी)	-	रिक्त

ग्रंथालय विभाग

1.	ग्रंथपाल	-	रिक्त

टीप : रिक्त पदों पर शासन द्वारा नियमित / संविदा नियुक्ति की जाती है।

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	स्वीकृत पदनाम	विषय	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	महाविद्यालय में पदांकन तिथि	रिक्त पद पर नियुक्त अतिथि व्याख्याता का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्राचार्य	–	1	–	1	–	–	–	–
2	प्राध्यापक	हिन्दी	1	–	1	–	–	–	–
3	प्राध्यापक	वाणिज्य	1	–	1	–	–	–	सुश्री प्रभा म्हापेडकर
4	सहा. प्राध्यापक	इतिहास	1	1	–	श्री दिनेश कश्यप	31-07-2017	29-09-2017	श्री विकी सिन्हा
5	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र	1	1	–	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत	31-07-2017	31-08-2017	–
6	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	1	1	–	श्री सुरेन्द्र कुमार तिग्गा	29-08-2017	17-10-2017	–
7	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	1	1	–	श्री चन्द्रहास सिंह राजपूत	04-05-2022	07-05-2022	–
8	सहा. प्राध्यापक	भूगोल	1	1	–	श्री अलेख कुमार पटेल	29-04-2022	27-05-2022	–
9	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी	1	–	1	–	–	–	श्री शरद चन्द्रवंशी
10	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी	1	–	1	–	–	–	श्रीमती पिंकी वैष्णव
11	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	2	1	1	श्री भोलाराम घृतलहरे	26-05-2022	18-06-2022	श्री शिवराम कृष्ण चन्द्राकर
12	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	2	1	1	श्री चित्रसेन ठाकुर	24-03-2022	05-04-2022	श्री दीपक सोनी
13	सहा. प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	2	–	2	–	–	–	1–श्रीमती माधुरी रत्न भास्कर 2–श्री सत्यम डौंड
14	सहा. प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र	1	–	1	–	–	–	सुश्री निलेश्वरी चन्द्राकर
15	सहा. प्राध्यापक	गणित	1	1	–	श्री ओमप्रकाश देवांगन	04-01-2022	15-01-2022	–
16	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य	1	1	–	श्री मदन लाल कश्यप (प्रभारी प्राचार्य)	12-11-2012	16-11-2012	–
17	क्रीडाधिकारी	–	1	–	1	–	–	–	–
18	ग्रंथपाल	–	1	–	1	–	–	–	–
19	सहायक ग्रेड–2	–	1	–	1	–	–	–	–
20	सहायक ग्रेड–3	–	2	2	–	1–श्री सी.बी.बाटवे 2–श्री राम प्रसाद साहू	24-04-1991 24-04-1991	25-05-2022 25-05-2022	–
21	प्रयोगशाला तकनीशियन	–	8	1	7	श्री सुनील कुमार बंजारा	13-01-2013	03-09-2019	–
22	प्रयोगशाला परिचारक	–	8	2	6	1–श्री गंगाराम जायसवाल 2–श्री अश्वनी चन्द्राकर	02-02-2013 02-02-2013	09-02-2013 23-08-2016	–
23	भृत्य	–	2	1	1	श्री मनीष भोसले	12-02-2008	18-02-2008	–
24	बुकलिफ्टर	–	1	1	–	श्री तोरन साहू	03-05-2010	05-05-2010	–
25	चौकीदार	–	1	–	1	–	–	–	–
26	स्वीपर	–	1	1	–	श्री रामेश्वर पाण्डेयकर	24-04-1991	25-04-1991	–
	योग		45	17	28				

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

कला संकाय (सत्र 28.08.1984 से प्रारंभ)

1. बी.ए. भाग - 1 का पाठ्यक्रम -

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
ब	पर्यावरण अध्ययन	-	प्रथम वर्ष में अनिवार्य
स.	ऐच्छिक विषय	-	निम्नलिखित विषयों में किन्हीं तीन विषयों का चयन करें। वि.वि. द्वारा परिवर्तन संभावित है।

1. समाज शास्त्र　2. अर्थशास्त्र　3. राजनीति विज्ञान
4. हिन्दी साहित्य　5. अंग्रेजी साहित्य / इतिहास　6. भूगोल

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2. बी.ए. भाग - 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम -

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
स.	ऐच्छिक विषय	-	बी.ए. भाग-2 एवं 3 में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-1 में लिये गये थे।

स्नातकोत्तर : स्ववित्तीय पाठ्यक्रम - (सत्र 2010-11 से प्रारंभ)

1. एम.ए. पूर्व -
   1. हिन्दी साहित्य
   2. समाज शास्त्र　　सेमेस्टर पद्धति लागू
   3. इतिहास

विज्ञान संकाय (सत्र 05.07.2008 से प्रारंभ)

1. बी.एस.-सी. भाग - 1 -

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)		
ब.	पर्यावरण अध्ययन	-	प्रथम वर्ष में अनिवार्य		
स.	ऐच्छिक विषय	-	गणित समूह	-	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
			बायो समूह	-	वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र

2. बी.एस-सी. भाग - 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम -

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
ब.	ऐच्छिक विषय	-	बी.एस-सी. भाग - 2 एवं 3 में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.एस-सी. भाग - 1 में लिये गये थे।

वाणिज्य संकाय (सत्र 05.07.2008 से प्रारंभ)

1. बी.काम. भाग - 1 -

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
ब.	पर्यावरण अध्ययन	-	प्रथम वर्ष में अनिवार्य
स.	सभी अनिवार्य विषय	-	

2. बी.काम. भाग - 2 एवं भाग - 3

अ.	अनिवार्य विषय	-	आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
ब.	सभी अनिवार्य विषय	-	

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या

(उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित)

स्नातक -

कला संकाय - (28.08.1984) 260

बी.ए.	(भाग - एक)	-	240 + 20 = 260	
बी.ए.	(भाग - दो)	-	240	
बी.ए.	(भाग - तीन)	-	240	

विज्ञान संकाय - (05.07.2008) 160

(गणित - 30 एवं बायोलाजी - 130)

बी.एस.सी.	(भाग - एक)	-	160
बी.एस.सी.	(भाग - दो)	-	160
बी.एस.सी.	(भाग - तीन)	-	160

वाणिज्य संकाय - (05.07.2008) 50

बी. काम.	(भाग - एक)	-	50
बी. काम.	(भाग - दो)	-	50
बी. काम.	(भाग - तीन)	-	50

स्नातकोत्तर - स्ववित्तीय

कला संकाय - (2010 - 11)

एम.ए. प्रथम / तृतीय सेमेस्टर	हिन्दी साहित्य	-	30
	समाज शास्त्र	-	30
	इतिहास	-	30
एम. कॉम प्रथम / तृतीय सेमेस्टर		-	25

नोट : 1. एम.ए. (हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र व इतिहास) की कक्षायें जनभागीदीरी मद से संचालित की जावेगी।

2. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा के निर्देशों के अनुरुप विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की निर्धारित संख्या घटाई / बढ़ाई जा सकती है। सत्र 2014-15 से सेमेस्टर पद्धति लागू है।

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

12. **आरक्षण :**

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात्

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी ।

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमी लेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा मेरिट क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहां खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि: शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रुप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में स्था जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी से भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिषत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत एक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जाए।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए - सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को।	- 05 प्रतिशत

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
-------()()---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नया रायपुर, दिनांक / /2017 02 JUN 2018

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव कमांक 213/आउशि/समन्वय/2017 दिनांक निरंक

-----()()-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

2-6-18
(नलिनी माथुर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नया रायपुर, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने ...र एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी। परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा. किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा मे प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner